

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा-क्षेत्र

निविदा सूचना

सर्वा साधारण को सूचित किया जाता है कि आगरा-क्षेत्र के "ए" एवं "बी" श्रेणी के बस स्टेशनो पर खाली पड़े ठेकों की नीलामी निविदा द्वारा दिनांक-07.12.2016 को कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, 96ग्वालियर रोड़ आगरा पर होगी।

1. निविदा कय करने की तिथि
2. निविदा जमा करने की तिथि
ठेका अवधि

02.12.2016 से 06.12.2016
07.12.2016(14:00 बजे तक)
तीन वर्ष।

क्रम सं०	बस स्टेशन	ठेके का नाम	आरक्षित मूल्य रूपये में प्रतिमाह
1.	फा0 नगर(बिजलीघर)	केन्टीन	रू०-40,729.00

केन्टीन/स्टाल/बसों में परिवहन निगम द्वारा अनुमोदित ब्राण्ड की पानी की बोतल बिकी नहीं होगी।

निविदा दाता की निविदा फार्म के साथ ऑफर की गयी धनराशि का तीन माह के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट भी धरोहर राशि के रूप में जो कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, आगरा के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना उसकी निविदा अमान्य होगी तथा समिति द्वारा उपयुक्त पायी गयी निविदा संपेक्ष निविदादाता के डिफॉल्ट होने पर यह अनिवार्यतः जब्त कर ली जायेगी। निविदा फार्म रू०-20.00(रूपये बीस मात्र) के नगद भुगतान पर दिनांक-06.12.2016 तक क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उ०प्र० परिवहन निगम 96ग्वालियर रोड़ आगरा से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। ठेके से सम्बन्धित शर्तें किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में देखी जा सकती हैं किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा। स्वीकृत निविदा दर पर निर्धारित सेवाकर ठेकेदार को मासिक किश्त के साथ जमा करना होगा। चाल-चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारियों से कराकर तथा अपनी रंगीन फोटो(पासपोर्ट साईज की) किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर निविदा फार्म के साथ संलग्न किया जाना होगा। अन्य ठेकों के निविदा प्रपत्र के साथ क्षेत्रीय स्तर के स्टाल एवं दुकानों के आवंटन हेतु रूपये-10,000.00 तथा डिपो स्तर के लिये रू०-2,000.00 अर्नेस्ट मनी जमा करानी होने के लिये धरोहर राशि जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। मुख्यालय लखनऊ के पत्रसं०-54एफए/12-177एफए/01दिनांक -09.01.2012पत्रसं०-1200एफए/12-177एफए/01दिनांक-11.05.2012पत्रसं०-1201एफए/12-177एफए/01दिनांक-11.05.2012पत्रसं०-1199एफए/12-177एफए/01/07पार्किंग/12 दिनांक -11.05.2012 के अनुपालन में पी०पी०पी० योजना को दृष्टिगत रखते हुए, स्टाल एवं केन्टीन तीन माह की पूर्व नोटिस देते हुये ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। ठेकेदार/व्यक्ति को जो केन्टीन/स्टाल/दुकान की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसको निर्धारित स्थान पर संचालित करना होगा और ठेकेदार द्वारा केन्टीन/स्टाल/दुकान से सम्बन्धित आयटम/सामान का ही विक्रय किया जायेगा। अन्य शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं। अधिकतम निविदा राशि को स्वीकृत करने/निरस्त करने का अधिकार समिति में निहित होगा। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय समिति का होगा। ऐसे ठेकेदार/फर्म जो निगम के ठेका किराया जमा न कर रहे हों या जमा न किया गया हो वह निविदा हेतु अयोग्य माने जायेंगे। पूर्व में जिस ठेकेदार का परिवहन निगम के साथ किसी ठेके के सम्बन्ध में विवाद/मुकदमा चल रहा था अथवा वर्तमान में चल रहा है वह निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा तथा वह स्वयं अथवा अपने नोमिनी, भाई परिवार के सदस्य एवं अन्य रिश्तेदार के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिये सक्षम नहीं होगा।

(एस.के.शर्मा)

क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।

पत्रसं०-जी-2/ठेका/नीलामी/16

11019

दिनांक-2/12/16

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. प्रधान प्रबन्धक(मार्केटिंग), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० परिवहन निगम।
5. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० परिवहन निगम, आगरा-क्षेत्र।
6. समस्त डिपो प्रभारी आगरा-क्षेत्र।
7. समस्त नोटिस बोर्ड आगरा-क्षेत्र।
8. समस्त ठेकेदार आगरा-क्षेत्र।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, आगरा